

कार्यालय मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०, मुरादाबाद ।

पत्रांक :- 2381 /46एम०-मु०क्षे०/17

दिनांक- 02/5/17

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
सम्भल ।

विषय :- ग्राम-गुन्नौर अब्दुल हई तहसील गुन्नौर जिला सम्भल स्थित गाटा सं०-347, 348 व 349 गुन्नौर बदायूं रोड पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद के पत्रांक-1304/105काम-मु०वृत्त/17 दिनांक 13.04.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में ग्राम-गुन्नौर अब्दुल हई तहसील गुन्नौर जिला सम्भल स्थित गाटा सं०-347, 348 व 349 गुन्नौर बदायूं रोड पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निम्न शर्तों के साथ लो०नि०वि० से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

- 1- मानचित्र मानक के अनुसार बने है ।
 - 2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ।
 - 3- आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ०प्र० रोड साईड लेण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा -13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा ।
 - 4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है ।
 - 5- प्रस्तावित स्थल स्थल मेरठ बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग-18) के कि०मी० 145, चैनेज 144.957 के दायीं ओर पड़ता है ।
 - 6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।
 - 7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 05 किमी० की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है ।
 - 8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी० लम्बाई एवं 03.00 मी० चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 24.00 मी० है ।
 - 9- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० कोड सं०-12-2009 के अनुसार किया जाये ।
 - 10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की गध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.86 मी० पम्प 33.86 मी० से 42.86 मी० एवं भवन निर्माण 48.00 मी० की दूरी पर नक्शों में प्रदर्शित है ।
- क- आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि०, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा । 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र(एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी । प्रार्थी का लाजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है ।
- ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये ।
- ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बाहव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिये एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा ।
- घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी० नीचा रखा जायेगा ।
- 11- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्नान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी० चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैंटिल केवर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें । किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा । साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये ।

(रजम० जो० सिद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग
सम्भल
F-14, Wazirpur, New Delhi


अमरेश कुमार
एरिया सेल्स मैनेजर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो० लि०
मुरादाबाद विक्रय क्षेत्र

ए.के. सिन्हा
S. K. Sinha
विश्व मंडल न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Officer - Meerut

Om

- 12- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग को ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0- 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
- 13- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊंचाई 60सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
- 14- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।
- 15- प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहियें।
- 16- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 17- प्रस्तावित पेट्रोल पम्पक से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, सम्भल से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
- 18- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 19- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्च पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/ एन0एच0-33023-19 /99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गार्डलाईनों का अनुपालन करना होगा।


- संलग्न:-
- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
 - 2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
 - 3-भू0स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी एवं सेल डीड।
 - 4-लीज डीड एग्रीमेन्ट पाँच प्रति में।
 - 5-अधी0अभि0, मु0बाद का पत्र सं0-1304/105काम-मु0वृत्/17 दि0 13.04.2017



 (के0के0 सिंह राठौर)
 मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद उनके पत्र दिनांक 13.04.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
 मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
 मुरादाबाद।


अमरेश कुमार
 एरिया सेल्स मैनेजर
 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०
 मुरादाबाद विक्रय क्षेत्र


 एस. के. सिन्हा
 S. K. Sinha
 विधिवत गठित न्यायवादी
 Duly Constituted Attorney
 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
 Hindustan Petroleum Corporation Limited
 मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
 Meerut Retail Regional Officer - Meerut


 (र०अ०पी०सि०)
 प्रभागीय न्यायिकारि
 सम्भल वन प्रभाग
 सागर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद।

S-20

पत्रांक:-1304/105 काम-मु०वृत्/17
सेवा में,

दिनांक 13/04/2017

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद।

विषय:-

ग्राम-गुन्नौर अब्दुल हई तहसील गुन्नौर जिला सम्भल स्थित गाटा सं०-347, 348 व 349 गुन्नौर बदायूं रोड पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल का पत्रांक 2123/4/रीडर-अ०प्र० पत्र/2016-2017 दिनांक 03.12.2016 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्भल का पत्रांक-450/अनापत्ति दिनांक 31.03.2017।

उपरोक्त विषयगत अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्भल की संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रकरण प्रेषित है:-

- 1- मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
- 2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- 3- आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ०प्र० रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
- 4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
- 5- प्रस्तावित स्थल मेरठ बदायूं मार्ग(राज्य मार्ग-18) के किमी०-145, चैनेज 144.957 के दायीं ओर पड़ता है।
- 6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
- 7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 05 किमी० की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
- 8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी० लम्बाई एवं 3.00 मी० चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 24.00 मी० है।
- 9- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० कोड सं०-12-2009 के अनुसार किया जाये।
- 10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.86 मी० पम्प 33.86 मी० से 42.86 मी० एवं भवन निर्माण 48.00 मी० की दूरी पर नक्शों में प्रदर्शित है।

क- आवेदक को पैट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि०, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र(एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी

सम्भल वन प्रभाग

सम्भल

अमरेश कुमार
एरिया सेल्स मैनेजर

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०
मुरादाबाद विक्रय क्षेत्र

D:\OMPRAKASH\COM\105.COM.doc

एस. के. सिन्हा

S. K. Sinha

विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Officer - Meerut

कमरा: पृष्ठ-2

- ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
- ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बाहव इस प्रकार कराना होगा, कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिये एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
- घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी० नीचा रखा जायेगा।
- 11- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खस्ती में 1.00 मी० चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैंटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
- 12- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो०नि०वि० मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई०आर०सी०- 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
- 13- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60सेमी० से ऊपर न रखी जाये।
- 14- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो०नि०वि०, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.86 मी० की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।
- 15- प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी० दोनों ओर कोई रोड कोसिंग नहीं होनी चाहिये।
- 16- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 17- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्भल से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
- 18- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 19- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर०डब्लू०/एन०एच०-33023-19/99-डी०ओ० तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना होगा।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।

2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।

3-भूस्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी एवं सेल डीड।

4-लीज डीड एग्रीमेन्ट पाँच प्रति में।

5-अधिशासी अभियन्ता के संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(दीपक अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्भल को उनके पत्रांक-450/अनापत्ति दिनांक 31.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

सम्भल वन प्रभुकरेश कुमार

सम्भल सेल्स मैनेजर

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०
मुम्बई, महाराष्ट्र

D:\OMPRAKASH\COM\105.COM.doc

मुम्बई, महाराष्ट्र

एस.के.सिन्हा

S. K. Sinha

विधिवत गठित न्यायवादी

Duly Constituted Attorney

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

Hindustan Petroleum Corporation Limited

मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ

Meerut Retail Regional Officer - Meerut

अधीक्षण अभियन्ता
मुम्बई, महाराष्ट्र

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्भल।

पत्रांक:- 721 / दानापीठ

दिनांक:- 12-5-17

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०)
सम्भल

विषय: ग्राम गुन्नौर अब्दुल हई तहसील गुन्नौर जिला सम्भल स्थित गांटा सं०-347,348 व 349 गुन्नौर बदायूं रोड पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका कार्यालय पत्र संख्या-2123/4/रीडर-अ०प्र०पत्र/2016-2017 दिनांक 03.12.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०, मुरादाबाद के पत्रांक 2381/46एम०-मु०क्षे०/17 दिनांक 02.05.2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पूर्व प्रकरण मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।

2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।

3-भू०स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी एवं सेल डीड।

54/125117
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
सम्भल।

AKC
अमरेश कुमार
एरिया सेल्स मैनेजर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०
मुरादाबाद विक्रय क्षेत्र

S.K. Sinha
एस. के. सिन्हा
S. K. Sinha
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Officer - Meerut

(2016/10/11)
प्रभागीय धनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग
सम्भल

- 12- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण लो०नि०वि० विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैंटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर आने पाये।
- 13- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो०नि०वि० मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पूर्ण आई०आर०सी०-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
- 14- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेंमी० से ऊपर न रखी जाये।
- 15- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो०नि०वि०, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.86 मी० की दूरी के कम पर भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।
- 16- प्रस्तावित स्थल के 100 मी० दोनों ओर कोई रोड कोसिंग नहीं होनी चाहिये।
- 17- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अना प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 18- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को इस कार्यालय (अधिशाली अभि-प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्मल) से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
- 19- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 20- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को हटाने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्च पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र आर०डब्लू०/एन०एच०-33023-19/99-डी०ओ० तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 के अन्तर्गत गाईड लाईनों का अनुपालन करना होगा।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।

2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।

3-भूस्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी एवं सेल डीड।

संलग्न-03 नों प्राप्त नहीं किया

SR
31/3/17
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
सम्मल।

दिनांक:- 31/03/11

पत्रांक:- 450/ अनापल

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (द्वितीय), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्मल को उनके द्वारा उपलब्ध करायी आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अमरेश कुमार
एरिया सेल्स मैनेजर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो० लि०
मुरादाबाद विक्रय क्षेत्र

S.K. Sinha
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Officer - Meerut

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
सम्मल।

(सम० प्र० ति०)
प्रमाणीय वनाधिकारी
सम्मल वन प्रभाग
सम्मल

पत्रांक संख्या 105 कागज
क्रम संख्या 3
पूर्व प्राप्ति
श्रीत संख्या

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्भल।

दिनांक- 31/03/17

पत्रांक:- 450 / अनापत्ति

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद।

विषय: ग्राम गुन्नौर अब्दुल हई तहसील गुन्नौर जिला सम्भल स्थित गाटा सं०-347,348 व 349 गुन्नौर बदायूं रोड पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल का पत्र संख्या-2123/4/रीडर-अ०प्र०पत्र/2016-2017 दिनांक 03.12.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में पत्र के साथ प्राप्त मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरान्त प्रस्तावित निर्माण स्थल पर निर्माण की अनुमति विशेष परिस्थितियों में निम्न शर्तों के अनुसार दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

- 1 - प्रस्तावित मार्ग के किनारे की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, जिसमें कार्य करने हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना अनिवार्य है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जाये अन्यथा प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 2 - मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
- 3 - प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- 4 - आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ०प्र० रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
- 5 - प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
- 6 - प्रस्तावित स्थल मेरठ बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग-18) के किमी०-145, चैनेज-144.957 के दायीं ओर स्थित है।
- 7 - प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
- 8 - रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 05 किमी० की दूरी तक सर्विस बेरियर नहीं है।
- 9 - बफर स्ट्रिप 12.00 मी० लम्बाई एवं 3.00 मी० चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 24.00 मी० है।
- 10 - प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० कोड सं०-12-2009 के अनुसार किया जाये।
- 11 - प्रस्तावित मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.86 मी०, पम्प 33.86 मी०-42.86 मी० एवं भवन निर्माण 48.00 मी० की दूरी पर नक्शों में प्रदर्शित है।

क - आवेदक को पैट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि०, की विशिष्टियों व अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र(एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करार्य जायेगी। प्रार्थी का लाजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

ख - आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पैट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किर्स प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।

ग - आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बाहव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट क पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिये एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

घ - अफिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी० नीचा रखा जायेगा।

कुमार
ए.ए. सेल्स मैनेजर
एन.पेट्रोलियम कार्पो० लि०
मुरादाबाद विक्रय क्षेत्र

S. K. Sinha
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Officer - Meerut

E.E
PA
प्रभागीय वनाधिकारी
कमशः पूष-
सम्भल वन प्रभाग
सम्भल

1304
12-04-17
12/04/17